24/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप.। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव आने पर पत्रावली पुनः पेशी में ली जावे। तब तक रेकॉर्ड से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/261

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 141/23 GCMS:-2023/261 **दायर दिनांक 12–06–2023**

1– मामराज पुत्र सरस्वतीदेवी
2–पिरथी पुत्र सरस्वतीदेवी
3– रोशनीदेवी पुत्री सरस्वतीदेवी
} अकवाम मेघवाल साकिनान निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

–––– वादीगण

बनाम

1– जगदीश प्रसाद पुत्र सरस्वतीदेवी जाति मेघवाल साकिन निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

–––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– कमलदत शर्मा अभिभाषक वादी ।

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 24.02.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 एन आर डी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 36/28 के पं0न0 78/324 मु0 न0 32 के किला न0 1/2 ता 10/2.391 है0 कमाण्ड मय खाला, पं0न0 79/324 मु0 न0 33 के किला न0 1/1 ता 15/3.757 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 6.148 है0 कमाण्ड मय खाला (5.898 है0 कमाण्ड एव 0.250 है0 खाला) खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादीगण अपने नाम की संयुक्त खाता की भूमि का प्रतिवादी सं0 1 से बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ते खाला की सुविधा को मध्य नजर रखते हुये खाता विभाजन करवाना चाहते है। जैरवाद रकबा संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज–खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय– 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन करवाने का मूश्तहक है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी न0 1 को बार –2 आवाज लगाई गई बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सुचना हाजिर नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाये जाने के पश्चात वाद–पत्र में अन्य कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई।

वाद–पत्र में आपत्ति नही आने पर तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादीगण द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

इसके पश्चात वादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 एन आर डी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 36/28 के प0न0 78/324 मु0 न0 32 के किला न0 1/2 ता 10/2.391 है0 कमाण्ड मय खाला, प0न0 79/324 मु0 न0 33 के किला न0 1/1 ता 15/3.757 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 6.148 है0 कमाण्ड मय खाला (5.898 है0 कमाण्ड एव 0.250 है0 खाला) खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादीगण अपने नाम की संयुक्त खाता की भूमि का प्रतिवादी सं0 1 से बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ते खाला की सुविधा को मध्य नजर रखते हुये खाता विभाजन करवाना चाहते है। जैरवाद रकबा संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय– 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है । इसलिए जैरवाद रकबा का बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाता विभाजन करवाये जाने का निवेदन किया ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाते में खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर अनुतोष मांगा गया है। जिसका खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा वाके चक 2 एन आर डी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 36/28 के प0न0 78/324 मु0 न0 32 के किला न0 1/2 ता 10/2.391 है0 कमाण्ड मय खाला, प0न0 79/324 मु0 न0 33 के किला न0 1/1 ता 15/3.757 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 6.148 है0 कमाण्ड मय खाला (5.898 है0 कमाण्ड एव 0.250 है0 खाला) खातेदारी भूमि के विभाजन हेतू राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 के मौके पर चले आ रहे कब्जे को ध्यान में रखते हुये उक्त खाते की भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक भूमि का स्पष्ट नक्शा सहीत विभाजन प्रस्तुत वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 का अलग–2 तैयार कर प्रस्तुत करे ताकि विभाजन प्रस्ताव का अंतिम आदेश व डिक्री जारी की जा सके। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री वास्ते स्वीकृति खाता विभाजन किये जाने हेतू जारी हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली वकील वादीगण के प्रार्थना पर पुनः पेशी में ली जावे तब तक नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

प्रार्थमिक डिक्री बमुकद्‌दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 141/23 **दायर दिनांक 12–06–2023**

1– मामराज पुत्र सरस्वतीदेवी
2–पिरथी पुत्र सरस्वतीदेवी
3– रोशनीदेवी पुत्री सरस्वतीदेवी

} अकवाम मेघवाल साकिनान निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1–जगदीश प्रसाद पुत्र सरस्वतीदेवी जाति मेघवाल साकिन निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, व 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 141/23 वर्ष यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण कमलदत शर्मा के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

वाके चक 2 एन आर डी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 36/28 के प0न0 78/324 मु0 न0 32 के किला न0 1/2 ता 10/2.391 है0 कमाण्ड मय खाला, प0न0 79/324 मु0 न0 33 के किला न0 1/1 ता 15/3.757 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 6.148 है0 कमाण्ड मय खाला (5.898 है0 कमाण्ड एव 0.250 है0 खाला) खातेदारी भूमि के विभाजन हेतू राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 के मौके पर चले आ रहे कब्जे को ध्यान में रखते हुये उक्त खाते की भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक भूमि का स्पष्ट नक्शा सहीत विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 का अलग–2 तैयार कर प्रस्तुत करे ताकि विभाजन प्रस्ताव का अंतिम आदेश व डिक्री जारी की जा सके ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अंदालत के आज दिनांक 24.02.2025 को जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:27:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)